



भारतीय जीवन बीमा निगम  
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

### भारतीय जीवन बीमा निगम

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512

केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com); वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

### 5वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों की पांचवीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को 11:00 बजे (भा.मा.स) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") /अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

#### साधारण व्यवसाय:

1. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी, 24सी और 25बी के अनुसरण में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड ("निदेशक मंडल") रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार करना।
2. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी और 25बी के अनुसरण में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार करना।
3. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अनुसरण में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार।
4. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28बी के अनुसरण में बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹ 10/- का अंतिम लाभांश घोषित करना।
5. निगम के क्षेत्रीय और मंडल लेखापरीक्षकों को नियुक्त करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करने के लिए:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 के अनुसार, बोर्ड द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और अन्य समय-समय पर लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन (ओं), उपांतरण(ओं), या पुनः अधिनियमन (ओं) सहित, के अनुसरण में, निगम के सदस्य एतद्वारा निम्नलिखित लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को निगम के निदेशक मंडल (उसकी लेखापरीक्षा समिति सहित) द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित पारिश्रमिक पर पांच (5) वर्षों के कार्यकाल के लिए निगम के क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में अनुमोदन प्रदान करते हैं, यानि निगम की 5 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन से और निगम की 10 वीं एजीएम के समापन तक के लिए:

क्र. सं.	क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों के नाम	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)
1.	मैसेर्स आनंद एंड पोनप्पन	000111एस
2.	मैसेर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी	008773सी
3.	मैसेर्स एस श्रीवास्तव एंड कंपनी	004570सी

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 के अनुसरण में, बोर्ड द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और अन्य समय-समय पर लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन (ओं), उपांतरण(ओं), या पुनः अधिनियमन (ओं) सहित, के अनुसरण में, निगम के सदस्य एतद्वारा निम्नलिखित लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को निगम के निदेशक मंडल (उसकी लेखापरीक्षा समिति सहित) द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित पारिश्रमिक पर पांच (5) वर्षों के कार्यकाल के लिए निगम के मंडल लेखापरीक्षकों के रूप में अनुमोदन प्रदान करते हैं, यानि निगम की 5 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन से और निगम की 10 वीं एजीएम के समापन तक लिए:

क्र.सं.	मंडल लेखापरीक्षकों के नाम	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)
1.	मैसेर्स एस रामानंद अय्यर एंड कंपनी	000990एन
2.	मैसेर्स जैन पारस बिलाला एंड कंपनी	011046सी
3.	मैसेर्स गोपाल शर्मा एंड कंपनी	002803सी
4.	मैसेर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स	313043ई
5.	मैसेर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स	001997एस
6.	मैसेर्स पी.एस.एम.जी. एंड एसोसिएट्स	008567सी

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) और/या निगम के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को समय-समय पर लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और/या पारिश्रमिक के नियमों और शर्तों को संशोधित/परिवर्तन/उपांतरण करने और उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के संबंध में या उससे संबन्धित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए अधिकृत किया जाए।”

#### विशेष व्यवसाय:

#### 6. निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री संजय लोहिया (डीआईएन: 07151125) की नियुक्ति पर

विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(डी) के अनुसार, श्री संजय लोहिया को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2026 के तहत, निगम के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, नामित किया गया है, तदनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।”

#### 7. एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट) के साथ निगम के भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन की स्वीकृति पर:

विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्तावों को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (“सूचीबद्धता विनियम”) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन (ओं), उपांतरण (ओं) या पुनः अधिनियमन (ओं) समेत जो समय-समय पर लागू हो, भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम”) के ‘संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति’, और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिन्हें इसके बाद ‘बोर्ड’ के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति को शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) जिससे निगम को संशोधित सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, निगम के संबंधित पक्ष, एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के साथ में अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन में प्रवेश करने के लिए/या पूर्ण करने के लिए और/या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या समूहिक लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा): तय नियमों और शर्तों के आधार पर; प्रत्यक्ष तरल निधि योजनाओं की यूनिटों की खरीद या मोचन और/या उससे जुड़े किसी भी अन्य लेनदेन के लिए कुल 40,000 करोड़ तक, अनुमोदन प्रदान करते हैं, यह लेन-देन निगम की 5वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से लेकर 6वीं -सामान्य बैठक की तारीख तक (दोनों दिन शामिल) जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी; बशर्ते कि संविदाएं /व्यवस्था/लेने देन निष्पक्ष आधार पर और निगम के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान किए जाएं।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को ऐसे सभी काम, गतिविधियाँ और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो ज़रूरी और उचित हों। इसमें इससे जुड़ी शर्तें, तरीके और प्रक्रियाएँ तय करना; ज़रूरी दस्तावेज़ (जैसे संविदाएं (ओं), योजनाएँ(ओं), अनुबंध (ओं) आदि) को निष्पादित करने और इस प्रस्ताव को लागू करने तथा इससे जुड़े किसी भी सवाल के समाधान करना शामिल है जैसा की बोर्ड अपने पूर्ण

विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे। इसके लिए सदस्यों की किसी और सहमति या मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी; बल्कि यह माना जाएगा कि सदस्यों ने इस प्रस्ताव के ज़रिए इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया जाता है कि वे लागू कानूनों के अनुसार, ऊपर बताए गए प्रस्ताव को लागू करने के लिए ज़रूरी या उचित समझे जाने वाले सभी कार्यों को करने और कदम उठाने के लिए, अपने सभी या किसी भी अधिकार को लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या निगम के अधिकारी/अधिकारियों को सौंप सकें।

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल, या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति ने ऊपर बताए गए प्रस्तावों से जुड़े किसी भी मामले में जो भी कदम उठाएँ जाएँगे, उन्हें हर तरह से मंजूरी दी जाती है और उनकी पुष्टि की जाती है।”

बोर्ड के आदेश से

कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षरित

अंशुल कुमार सिंह

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 24 जून, 2026

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

‘योगक्षेम’,

जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

टिप्पणियाँ:

**1. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक:**

क. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (“एमसीए”) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांकित 22 सितंबर, 2025 के साथ पठित एमसीए द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य लागू परिपत्र (सामूहिक रूप से “एमसीए परिपत्र” के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी”) ने सूचीबद्ध संस्थाओं को उसमें उल्लिखित विभिन्न शर्तों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (“वीसी”)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (“ओएवएम”) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है।

एमसीए और सेबी द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त परिपत्रों, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956” या “एलआईसी अधिनियम”) के लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) और इसके तहत बनाए गए नियम, एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम”/“सेबी” (एलओडीआर) विनियम, के अनुपालन में वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से निगम की पाँचवी एजीएम आयोजित की जा रही है, जिससे एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कार्यालय को पाँचवी एजीएम के लिए वह सामान्य स्थल माना जाएगा।

ख. जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 (“एलआईसी नियम”) के नियम 28 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्यों को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि, यह एजीएम,

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और एजीएम स्थल का मार्ग मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

- ग. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। सदस्य, नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर जीवंत कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस सूचना के टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना को एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('आईसीएसआई') द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार गणपूर्ति की गणना करने हेतु की जाएगी।
- घ. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ-पहले पाओ के आधार ('एफसीएफएस') कम से कम 1,000 सदस्यों के लिए पर उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में एफसीएफएस के प्रवेश करने में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- ड. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है, जिसमें उनके प्रतिनिधि को उनकी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उक्त समाधान/ प्राधिकरण पत्र पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से संवीक्षक को [sanco@sanco.net](mailto:sanco@sanco.net) ईमेल पते पर भेजा जाएगा जिसकी एक प्रति [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) को अंकित की जाएगी।
- च. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नाम के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वह एजीएम में वोट (मत) डालने का हकदार होगा।
- छ. वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते 25 जून, 2026 (गुरुवार) (कट-ऑफ तिथि) को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। पाँचवी एजीएम बुलाने की सूचना निगम की वेबसाइट पर [www.licindia.in](http://www.licindia.in) प्रसारित कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर उपलब्ध है। यह सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

निगम वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति केवल उन सदस्यों को भेजेगा जो विशेष रूप से अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख पंजीकृत ईमेल पते से [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर इसके लिए अनुरोध करेंगे।

इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, निगम उन सदस्यों को भी एक पत्र भेज रहा है जिनका ई-मेल पता निगम/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है, जिसमें निगम की वेबसाइट का सटीक वेब-लिंक प्रदान होगा जहां पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध होगी।

2. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 28 के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण, जो जो इस सूचना के मद संख्या 4 से 7 के तहत निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।
3. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) और एलआईसी नियमों के नियम 28 के साथ पठित आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार पाँचवी एजीएम में नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संबंध में के आवश्यक विवरण इस सूचना के **अनुलग्नक - ए** के रूप में संलग्न हैं जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम ने नियुक्ति के लिए निदेशक से संगत प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त कर ली है।

#### 4. अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:

- क. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 21 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- के अंकित मूल्य

के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 10/- रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश के परियोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि गुरुवार, जून 25, 2026 थी।

ख. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम लाभांश, पाँचवी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, सदस्यों को मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को या उससे पहले, भुगतान किया जाएगा, अर्थात्, अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों/लाभकारी मालिकों को जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि पर डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।

ग. सेबी द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के साथ पठित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 12 के संशोधित प्रावधान के अनुसार, सदस्यों को देय लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं। ऐसा भुगतान फोलियो के केवाईसी अनुपालन पर किया जाएगा। ऐसे फोलियो को सभी विवरणों के पंजीकरण पर केवाईसी के अनुरूप माना जाएगा; जिनके पिन कोड के साथ पूरा पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, आधार से जुड़ा वैध पैन, नामांकन, नमूना हस्ताक्षर आदि सहित संपर्क विवरण पंजीकृत हो। सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर संबंधित एफएक्यू प्रकाशित किए गए हैं और इन्हें [https://www.sebi.gov.in/sebi\\_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf](https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf) पर देखा जा सकता है।

#### 5. अंतिम लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती (“टीडीएस”) :

आयकर अधिनियम, 2025 (“आईटी अधिनियम”) यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसरण में, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और निगम को आईटी अधिनियम के साथ पठित कर संधि के अनुसार निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (“टीडीएस”) की कटौती करना आवश्यक है।

सोमवार, 15 जून, 2026 को उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया जिनका ईमेल पता निगम/रजिस्ट्रार/डीपी के साथ पंजीकृत था और अनुरोध कर की कर छूट या कम कर दरों का दावा करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान कर और साथ ही 16 जून, 2026 को निम्नलिखित प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक घोषणा भी की गई; टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स और नवभारत टाइम्स।

#### 6. सदस्यों को अपने विवरण में परिवर्तन के बारे में सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया है:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते का विवरण, अर्थात्; बैंक की शाखा का नाम और पता, शाखा का एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार और खाता संख्या, निगम के आरटीए यानी, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट: भारतीय जीवन बीमा निगम) सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032 में विधिवत भरे गए फॉर्म आईएसआर -1 और संबंधित प्रमाणों के साथ, प्रस्तुत करें।

जो सदस्य डिमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और बैंक खाते का विवरण प्रदान करना/बदलना/सही करना चाहते हैं, उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (भागीदारों) को भेजना चाहिए न कि निगम को। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बैंक का एमआईसीआर कोड अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दें। निगम ऐसे सदस्यों से पते में परिवर्तन, नामों के स्थानांतरण, मृतक संयुक्त धारक के नाम को हटाने और बैंक खाते के विवरण में परिवर्तन के लिए किसी भी सीधे अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। लाभांश का भुगतान करते समय, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट ऐसे डिमैटरीज्ड शेयरों के लिए डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।

जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 के विनियमन 9 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 5ए के प्रावधानों के अनुसार, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरते और किसी भी सदस्य के पते में किसी भी बदलाव या निधन के बारे में निगम या आरटीए को सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न छोड़ें। संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से शेयरधारिता का आवधिक विवरण प्राप्त किया जा सकता है, और समय-समय पर शेयरधारिता को सत्यापित किया जाना चाहिए।

#### 7. शेयरों का अभौतिकीकरण:

क. सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीकरण विनियम के अनुसरण में भौतिक रूप में धारित सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों के अंतरण, पारिषण और अंतरण को केवल डीमैट मोड अधिदेश करते हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने परिपत्र सं एचओ/38/13/

(4) 2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/1/4298/2026 दिनांकित 06 फ़रवरी, 2026 के साथ पठित समय-समय पर जारी सेबी के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को केवल सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अधिदेश है; डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना; अस्वामिक सस्पेन्स खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण/विनिमय; अनुमोदन; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों/फोलियो का समेकन; ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन।

तदनुसार, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और अभौतिकरण के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डीमैटरियलाइज करें, सदस्य सहायता के लिए पूर्वोक्त परिपत्र में निर्धारित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निगम या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

ख. दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए, सेबी ने 19 मार्च, 2025 को एक परिपत्र सेबी/एचओ/ओआईईई/ओआईईई\_आईएडी 3/पी/सीआईआर/2025/32 जारी किया है, जिसका शीर्षक है “भारतीय प्रतिभूति बाजार में लावारिस परिसंपत्तियों को कम करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में डिजीलॉकर का उपयोग”। यह पहल निवेशकों को डिजीलॉकर के माध्यम से अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की जानकारी संग्रहीत करने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जो एक प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, जिससे निवेशकों और उनके परिवारों को लाभ होता है।

शेयरधारक डिजीलॉकर एप्लिकेशन के भीतर डेटा एक्सेस नॉमिनी भी नियुक्त कर सकते हैं। शेयरधारक की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्तियों को डिजीलॉकर खाते तक केवल-पढ़ने के लिए पहुंच प्रदान की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवश्यक वित्तीय जानकारी कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए सुलभ है।

विवरण के लिए, आप [सेबी - डिजीलॉकर सर्कुलर](#) में उपर्युक्त परिपत्र देख सकते हैं।

#### 8. विवाद के समाधान के लिए :

सेबी ने मास्टर परिपत्र सं सेबी/एचओ/ओआईईई/ओआईईई\_आईएडी-1/पी/सीआईआर/2023/145 दिनांक 31 जुलाई, 2023 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (“ODR Portal”) की स्थापना की है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्य ध्यान दे, कि निगम और/या उसके आरटीए के खिलाफ किसी भी भारतीय प्रतिभूति बाजार से उत्पन्न विवादों के मामले में ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से विवाद समाधान दायर कर सकते हैं और इसे निगम की वेबसाइट <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution> के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। सदस्य इस तंत्र का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब वे निगम और स्कॉर्स के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा दें और निवारण के परिणाम से संतुष्ट न हों।

#### 9. अस्वामिक लाभांश और आईईपीएफ:

जो सदस्य ऐसे लाभांश का दावा करना चाहते हैं, जिनका दावा नहीं किया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे नियत तारीखों से पहले पुनर्विधिकरण और नकदीकरण के लिए से [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) या आरटीए से [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) पर पत्रचार करें। ऐसे दावा न किए गए लाभांशों का विवरण निगम की वेबसाइट पर [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर उपलब्ध है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दे कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28सी के अंतर्गत अस्वामिक लाभांश खाते में अंतरित होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अस्वामिक अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (“आईईपीएफ”) में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अस्वामिक/अदावाकृत रहते हैं, तो उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

10. एजीएम के दौरान सांविधिक रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित के प्रावधानों के संदर्भ में सूचना में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वह [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

11. जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी को डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग में भाग लेने और अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:

- क. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे से), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) या [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर प्रदान करें।
- ख. यदि शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं, तो सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे डीपीआईडी-सीएलआईडी (16-अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16-अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) को प्रदान करें। डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नीचे बताई गई **अनुलग्नक-बी** में लॉगिन विधि का उल्लेख करें- दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश और डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देश को संदर्भ लें।
- ग. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग में भाग लेने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) को अनुरोध भेज सकते हैं।
12. श्रीमती अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या: एसीएस 14713) और उनके विफल होने पर श्री एस.एन. विश्वनाथन (सदस्यता संख्या: एफसीएस 13685) मैसेर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीस, को निगम के सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में मतदान की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच पूरी होने के बाद अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं, एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के तहत पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय में सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
13. **दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:**
- क. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के अनुसरण में, निगम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करने की प्रसन्नता हो रही है; एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को 'दूरस्थ ई-वोटिंग' (एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग) दी जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग सिस्टम के साथ सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
- ख. मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले निगम के सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल "सूचना के उद्देश्य" से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी या आरटीए द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होंगे। भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाला कोई भी सदस्य या गैर-व्यक्तिगत सदस्य जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करता है और सूचना के भेजने के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को शेयर रखता है, वह [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- ग. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य, जो निगम के शेयर अधिग्रहण करते हैं और सूचना भेजने के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि, यानी मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को शेयर धारण करते हैं, वे सूचना में दिए गए अनुलग्नक-बी नीचे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- घ. दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को 09:00 बजे (भा.मा.स) से शुरू होगी और रविवार, 26 जुलाई, 2026 को 17:00 बजे (भा.मा.स) पर समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव मतदान पर करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी **मंगलवार 21 जुलाई, 2026** को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

- ड. एजीएम में वीसी/ओएवीएम कार्यवाही के दौरान सदस्यों को दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा संकल्प (ओं) पर अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे संकल्प (ओं) पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मतों की प्राप्ति के अधीन, प्रस्तावों को बैठक की तारीख, यानी सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को पारित माना जाएगा।
- च. एजीएम के दिन दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।
- छ. जिन सदस्यों ने पहले ही दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे भी एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे।
- ज. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, वह वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए किया गया है, जिसका उल्लेख बिन्दु संख्या 14 (ड) में पृष्ठ संख्या 8 में किया गया है।
- 14. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:**
- क. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य, एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए **अनुलग्नक-बी** के तहत नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने सामान्य बैठक में शामिल हों (Join General Meeting) मेनू के तहत रखा गया “वीसी/ओएवीएम लिंक का लिंक” देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि “सामान्य बैठक में शामिल हों” मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कॉर्पोरेशन का EVEN (140008) प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- ख. सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, एमएस एज या फ़ायरफ़ॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि लैपटॉप, मोबाइल उपकरणों या टैबलेट के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए उन्हे स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- ग. सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पाँचवी एजीएम में रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को 09:00 बजे (भा.म.स) से गुरुवार 23 जुलाई, 2026 को 17:00 बजे (भा.म.स) तक [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) बजे भेज सकते हैं। सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।
- घ. जो सदस्य बैठक में एक वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बुधवार, 22 जुलाई, 2026 से 09:00 बजे (भा.मा.स) से शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को शाम 17:00 बजे (भा.मा.स) के बीच अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर एक अनुरोध भेजकर खुद को पूर्व-पंजीकृत कर सकते हैं। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ड. जिन सदस्यों को बैठक से पहले या उसके दौरान बैठक में भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वह श्री संजीव यादव, उप प्रबंधक, एनएसडीएल से [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com)/022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।
- 15. शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:**
- क. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर

दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?” या “भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?” विकल्प से पासवर्ड रीसेट करना होगा।

- ख. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों/सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं, जो [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या 022 - 4886 7000 पर कॉल करें या एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री संजीव यादव को [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से  
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षरित  
अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 24 जून, 2026

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

‘योगक्षेम’,

जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

## जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

### मद संख्या 4

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956”) की धारा 28बी के अनुसार, निदेशक मंडल ने 21 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 10/- के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसमें ₹ 12649.99 करोड़ का नकद बहिर्वाह शामिल होगा, जो 22.03% के लाभांश भुगतान अनुपात में अनुवाद करता है।

तदनुसार, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है

### मद संख्या 5

यह व्याख्यात्मक विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम” या “सूचीबद्धता विनियम”) के विनियमन 36 (5) के संदर्भ में है, हालांकि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956”) की धारा 23ए के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियमों, 1956 के नियम 28 (“एलआईसी नियम”) के संदर्भ में आवश्यक नहीं है।

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 22, बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर अनुमोदित नीति, सेबी सूचीबद्धता विनियम, और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, निगम के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, भले ही कॉर्पोरेशन लेखापरीक्षकों, क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों या मंडल लेखापरीक्षकों हों, उनको एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

निगम के तीन क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों अर्थात् मैसर्स बी सी जैन एंड कंपनी, कानपुर (फर्म पंजीकरण संख्या: 001099 सी), मैसर्स रमा के गुप्ता एंड कंपनी, भोपाल (फर्म पंजीकरण संख्या: 005005सी) और मैसर्स आर सुब्रमण्यन एंड कंपनी एलएलपी, चेन्नई (फर्म पंजीकरण संख्या: 004137एस/एस-200041), 27 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक में अपना कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

पूर्वगामी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और इस एजीएम में निगम के क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों का कार्यकाल पूरा होने पर, निगम के निदेशक मंडल ने उद्योग के अनुभव, सूचीबद्ध कंपनियों के अनुभव, लेखापरीक्षा टीम की योग्यता, लेखापरीक्षा के संचालन में दक्षता, स्वतंत्रता, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (“सीएजी”) रैंकिंग, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर मूल्यांकन और विचार करने के बाद, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, निम्नलिखित को निगम के क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए जोकी पाँचवी एजीएम के समापन से कैलेंडर वर्ष 2031 में आयोजित होने वाली निगम की 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक, नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखते हैं:

क्र.सं	लेखापरीक्षक का नाम	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)	संक्षिप्त पार्श्वचित्र
1	मैसर्स आनंद एंड पोनप्पन	000111एस	फर्म की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, जिसकी पूरे भारत में 7 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 15 पूर्णकालिक भागीदार और 10 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
2	मैसर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी	008773सी	फर्म की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 33 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 34 पूर्णकालिक भागीदार और 24 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
3	मैसर्स एस श्रीवास्तव एंड कंपनी	004570सी	फर्म की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 7 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 10 पूर्णकालिक भागीदार और 2 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।

समेकित पारिश्रमिक जो प्रति वर्ष क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा सेवाओं के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों को भुगतान किया जाना है, वह ₹ 99,24,350/- है साथ ही लागू कर भी देय है। प्रस्तावित पारिश्रमिक में अन्य अनुमत सेवाओं की लागत शामिल नहीं है, जिनका लाभ, यदि आवश्यक हो, निगम द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों या मंडल लेखापरीक्षकों से लिया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा सेवाओं के लिए निवर्तमान क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया समेकित पारिश्रमिक ₹ 95,13,000/-, साथ ही लागू कर भी देय था।

इसके अतिरिक्त, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसरण में, समय-समय पर मंडल कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने के लिए मंडल लेखापरीक्षकों की भी नियुक्ति की जा रही है। तदनुसार, निगम के निदेशक मंडल ने क्रेडेंशियल्स, लेखापरीक्षकों टीमों की क्षमता, लेखापरीक्षकों के संचालन में दक्षता, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, और निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के तहत परिभाषित अन्य मापदंडों पर विचार करने के बाद, जैसा कि संशोधित किया गया है लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, निम्नलिखित को निगम के मंडल लेखापरीक्षकों के रूप में पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए जोकी पाँचवी एजीएम के समापन से कैलेंडर वर्ष 2031 में आयोजित होने वाली निगम की 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक, नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखते हैं:

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का नाम	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)	संक्षिप्त पार्श्वचित्र
1.	मैसर्स एस रामानंद अय्यर एंड कंपनी	000990एन	फर्म की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 8 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 16 पूर्णकालिक भागीदार और 10 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
2.	मैसर्स जैन पारस बिलाला एंड कंपनी	011046सी	फर्म की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 16 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 25 पूर्णकालिक भागीदार और 13 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
3.	मैसर्स गोपाल शर्मा एंड कंपनी	002803सी	फर्म की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 8 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 21 पूर्णकालिक भागीदार और 10 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
4.	मैसर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स	313043ई	फर्म की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 11 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान ताकत 25 पूर्णकालिक भागीदार और 1 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी है।
5.	मैसर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स	001997एस	फर्म की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 12 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 25 पूर्णकालिक भागीदार और 36 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
6.	मैसर्स पी.एस.एम. जी. एंड एसोसिएट्स	008567सी	फर्म की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 15 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 25 पूर्णकालिक भागीदार और 14 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।

समेकित पारिश्रमिक जो प्रति वर्ष मंडल कार्यालयों की लेखापरीक्षा सेवाओं के लिए प्रस्तावित मंडल लेखापरीक्षकों को भुगतान किया जाना है, वह ₹ 91,93,200/- है साथ ही लागू कर भी देय है। प्रस्तावित पारिश्रमिक में अन्य अनुमत सेवाओं की लागत शामिल नहीं है, जिनका लाभ, यदि

आवश्यक हो, निगम द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों या मंडल लेखापरीक्षकों से लिया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मंडल कार्यालयों की लेखा परीक्षा सेवाओं के लिए निवर्तमान मंडल लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया समेकित पारिश्रमिक ₹ 87,68,100/-, साथ ही लागू कर भी देय था।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों या मंडल लेखापरीक्षकों के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा सेवाओं के अलावा, निगम विभिन्न सांविधिक विनियमों और बैंकों, सांविधिक प्राधिकरणों, लेखापरीक्षा से संबंधित सेवाओं और समय-समय पर अपेक्षित अन्य अनुमेय गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र के तहत क्षेत्रीय और मंडल लेखापरीक्षकों से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगा, जिसके लिए उन्हें लेखापरीक्षा समिति के परामर्श से बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा। लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल क्षेत्रीय और/या मंडल लेखापरीक्षकों के कार्यकाल के शेष भाग के लिए पारिश्रमिक में संशोधनों के अनुमोदन पर विचार करेंगे। निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति के परामर्श से, पारिश्रमिक सहित नियुक्ति के निबंधन और शर्तों को इस तरह से और उस सीमा तक बदल सकते हैं जो लेखापरीक्षकों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है।

निगम के कॉर्पोरेशन लेखापरीक्षक इस एजीएम में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए, कॉर्पोरेशन लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निगम के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से उक्त प्रस्तावों में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं। लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

#### मद संख्या 6

भारत सरकार ने 13 मई, 2026 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री संजय लोहिया को सुश्री शालिनी पंडित के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

1994 बैच (असम मेघालय कैडर) के आईएएस अधिकारी श्री संजय लोहिया ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है और 01.06.2026 से वित्तीय सेवा विभाग ("डीएफएस") के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डीएफएस में विशेष सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह खान मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे।

वह सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हो गए। खान मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें असम सरकार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव, पीएमओ में निदेशक आदि शामिल थे।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित "निदेशक की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता पर नीति" ("निदेशकों की नीति") के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, सरकार द्वारा नामित निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की समिति की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा, ठहरने और परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़कर कोई पारिश्रमिक, बैठने की फीस या अन्य मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसलिए, श्री संजय लोहिया, को निदेशकों की नीति के तहत उल्लिखित के अलावा कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क या अन्य मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

निदेशकों की नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct> है।

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के सरकार नामित निदेशक के रूप में श्री संजय लोहिया की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए सूचना के मद संख्या 6 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री संजय लोहिया और उनके रिश्तेदारों और भारत सरकार को छोड़कर, जो निगम में एक प्रमुख शेयरधारक है, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 6 के तहत निहित प्रस्ताव पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में दिया गया है।

तदनुसार, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 6 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

#### मद संख्या 7

एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ("एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट") भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी" या "निगम") की एक सहयोगी कंपनी है, जो निगम की एक संबंधित पार्टी है। एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट, परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र में जानी मानी कंपनियों में से एक है और निवेशक बिरादरी के बीच एक पसंदीदा निवेश प्रबंधक के रूप में उभर रहा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत के सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ताओं में से एक है और एक प्रमुख घरेलू संस्थान निवेशक ("डीआईआई") है। निगम

ने अपने पॉलिसीधारकों और निगम के शेयरधारकों को उचित रिटर्न देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा समय समय पर जारी किए गए लागू विनियमों के अनुपालन में विभिन्न वित्तीय साधनों में अपने निवेश योग्य अधिशेष का निवेश किया है।

निगम बीमा पॉलिसियों के लाभार्थियों की ओर से आईआरडीएआई द्वारा अनुमति दी गई योजनाओं में कंपनियों में निवेश कर सकती है। तदनुसार, अधिशेष फंड जो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हैं, उन्हें आईआरडीएआई नियमों के अनुपालन में एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड सहित अन्य म्यूचुअल फंड में पार्क किया जाता है। वर्तमान में, निगम ने इस तरह के अस्थायी निवेशों के लिए लगभग बीस (20) परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को सूचीबद्ध किया है, और आमतौर पर इन म्यूचुअल फंड योजनाओं में 90 दिनों तक की छोटी अवधि के लिए फंड में रखा जाता है, जब तक कि अधिक उपयुक्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं हो जाते।

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के अनुसार, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री/खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या किराए पे देने, किसी भी वस्तु, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण, आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन निर्धारित राशि से अधिक है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के लेनदेन को सदस्यों के पूर्व अनुमोदन से छूट दी गई थी, यदि वे सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन को भौतिक माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ किए जाने वाले लेन-देन, ₹ 3,000 करोड़ और ₹ 40,000 करोड़ से अधिक वार्षिक समेकित कारोबार का 2.5% या ₹ 5,000 करोड़ से अधिक हो, जो भी कम हो। इसलिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निगम के समेकित कारोबार के आधार पर, निगम के संबंधित पक्ष के लेन-देन की भौतिक सीमा ₹ 5,000 करोड़ है। निगम ने 26 अगस्त, 2025 को आयोजित निगम की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के साथ भौतिक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, जो पाँचवी एजीएम की तारीख तक वैध होगा। इस प्रकार, निगम को भौतिक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा समिति को विभिन्न प्रस्तावित आरपीटी के प्रासंगिक विवरण प्रदान किए हैं, जिसमें भौतिक शर्तें और मूल्य निर्धारण का आधार शामिल है। लेखापरीक्षा समिति के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने सभी आवश्यक विवरणों की समीक्षा करने के बाद, पाँचवी एजीएम से छठी एजीएम तक 15 महीने की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष तरल निधि योजनाओं की यूनितों की प्रत्येक खरीद और मोचन के लिए ₹ 40,000 करोड़ तक के कुल मूल्य के लिए एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के साथ आरपीटी में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है। लेखापरीक्षा समिति ने नोट किया है कि एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के साथ उक्त लेनदेन निगम के सामान्य कामकाज के तहत और निष्पक्ष आधार पर है। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 7 में प्रस्ताव में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देते हुए यह भी नोट किया है कि भले ही ये लेनदेन सामान्य कारोबार के रूप में हैं और निष्पक्ष आधार पर हैं, वे सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के रूप में हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा समिति ने आरपीटी उद्योग मानकों के तहत आवश्यक निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की समीक्षा की है।

तदनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, किए जाने वाले ऐसे सभी अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन मांगा जा रहा है (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या समूहिक लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा), चाहे वह पूर्व की व्यवस्थाओं/लेन-देन की निरंतरता/विस्तार/नवीनीकरण/संशोधन के माध्यम से हो या इस एजीएम की तारीख से निगम की छठी एजीएम की तारीख तक या अन्यथा जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी।

निगम और एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के बीच प्रस्तावित लेनदेन का विवरण, जिसमें 30 जनवरी, 2026 के सेबी मास्टर परिपत्र के साथ पठित इस संबंध में पहले जारी किए गए परिपत्र, के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण में प्रकट की जाने वाली आवश्यक जानकारी, यदि कोई हो, इस प्रकार है: आरपीटी उद्योग मानकों के अनुसार संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम जानकारी:

क्र.सं.	जानकारी का विवरण	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी
<b>भाग ए: प्रस्तावित आरपीटी की न्यूनतम जानकारी</b>		
<b>ए (1): संबंधित पार्टी का मूल विवरण</b>		
1.	संबंधित पक्ष का नाम	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (“एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट”)

क्र.सं.	जानकारी का विवरण	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी
2.	संबंधित पक्ष के निगमन का देश	भारत
3.	संबंधित पक्ष के व्यवसाय की प्रकृति	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं

#### ए (2): संबंधित पक्ष का संबंध और स्वामित्व

1.	<p>सूचीबद्ध इकाई/सहायक कंपनी (सहायक कंपनी से जुड़े लेन-देन के मामले में) और संबंधित पक्ष के बीच संबंध - जिसमें इसकी संबंध की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) और निम्नलिखित हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सूचीबद्ध इकाई/सहायक कंपनी की शेयरधारिता (सहायक कंपनी से जुड़े लेन-देन के मामले में), संबंधित पक्ष में, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से।</li> <li>जहां संबंधित पक्ष एक साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व वाली संस्था या शेयर पूंजी के बिना एक निगमित निकाय है, तो पूंजी योगदान, यदि कोई हो, सूचीबद्ध इकाई/सहायक कंपनी द्वारा किया गया (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में)।</li> <li>सूचीबद्ध इकाई/सहायक कंपनी में संबंधित पक्ष की शेयरधारिता, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से,</li> </ul>	<p>एलआईसीएमएफ एसेट मैनेजमेंट निगम का एक सहयोगी है</p> <p>49.87%</p> <p>लागू नहीं</p> <p>शून्य</p>
----	---	---

#### ए (3): संबंधित पार्टी के साथ पिछले लेनदेन का विवरण

1.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई या सहायक कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी के साथ किए गए सभी लेनदेन की कुल राशि।	क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-2026 (₹)
		1	यूनियों की खरीद	₹ 24,150.10 करोड़
2.	जिस तिमाही में अनुमोदन मांगा गया है, उससे ठीक पहले की तिमाही तक, सूचीबद्ध इकाई या सहायक कंपनी द्वारा चालू वित्त वर्ष में संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी लेन-देन की कुल राशि।	क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (₹)*
		1	यूनियों की खरीद	₹ 6,900.00 करोड़
		2	यूनियों का मोचन	₹ 6,300.46 करोड़
		*चूंकि चालू वित्तीय की पहली तिमाही अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक में संबंधित पक्ष के साथ किए गए लेन-देन की राशि प्रदान की गई है।		
3.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ किए गए लेनदेन या व्यवस्था के तहत उसके द्वारा किए गए किसी भी दायित्व के संबंध में संबंधित पक्ष द्वारा किया गया कोई भी चूक, यदि कोई हो।	नहीं		

#### ए (4): प्रस्तावित लेनदेन की राशि का विवरण

1.	लेखापरीक्षा समिति/शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जा रहे प्रस्तावित लेन-देन की राशि।	₹ 40,000 करोड़ के लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनियों की खरीद।
		₹ 40,000 करोड़ के लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनियों का मोचन।
2.	क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ किए गए लेन-देन के साथ प्रस्तावित लेन-देन, एक भौतिक आरपीटी बना देगा?	हाँ
3.	पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य	खरीद-7.43% मोचन-7.43%

क्र.सं.	जानकारी का विवरण	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी								
4.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सहायक कंपनी के वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के में है और जहां सूचीबद्ध इकाई लेनदेन के लिए पक्ष नहीं है)	लागू नहीं								
5.	संबंधित पार्टी के वार्षिक समेकित कारोबार के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (यदि समेकित कारोबार उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित पार्टी के स्टैंडअलोन टर्नओवर पर गणना की जानी चाहिए), यदि उपलब्ध हो। (नोट: स्टैंडअलोन टर्नओवर के आधार पर गणना की गई मूल्य)	खरीद-29697.82% मोचन-29697.82%								
6.	ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित पक्ष का वित्तीय प्रदर्शन:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>वित्तीय वर्ष 2025-26 (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>टर्नओवर</td> <td>134.69 करोड़</td> </tr> <tr> <td>कर के बाद लाभ</td> <td>10.81 करोड़</td> </tr> <tr> <td>निवल मूल्य</td> <td>306.02 करोड़</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26 (₹)	टर्नओवर	134.69 करोड़	कर के बाद लाभ	10.81 करोड़	निवल मूल्य	306.02 करोड़
विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26 (₹)									
टर्नओवर	134.69 करोड़									
कर के बाद लाभ	10.81 करोड़									
निवल मूल्य	306.02 करोड़									
<b>ए (5): प्रस्तावित लेनदेन का मूल विवरण</b>										
1.	प्रस्तावित लेन-देन का विशिष्ट प्रकार (जैसे वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री, वस्तुओं/सेवाओं की खरीद, ऋण देना, उधार लेना आदि)	लिक्विड म्यूचुअल फंड योजना की यूनिटों की खरीद और मोचन।								
2.	प्रस्तावित लेनदेन के प्रत्येक प्रकार का विवरण	एनएवी के आधार पर यूनिटों की खरीद और मोचन।								
3.	प्रस्तावित लेन-देन की अवधि (निर्दिष्ट किए जाने वाले वर्षों या महीनों की संख्या में अवधि)	अस्थायी आधार पर अधिशेष निधियों का नियमित नियोजन रूप से लगाने के लिए, भौतिक आरपीटी के लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जा रहा है जोकि पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक से और छठी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जिसकी अवधि 15 माह से अधिक अवधि नहीं होगी।								
4.	क्या समग्र अनुमोदन मांगा जा रहा है?	हाँ								
5.	किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य। यदि प्रस्तावित लेनदेन एक से अधिक वित्तीय वर्ष में निष्पादित किया जाएगा, तो वित्तीय वर्ष के आधार पर अनुमानित विवरण प्रदान करें।	₹ 40,000 करोड़ की लिक्विड म्यूचुअल फंड योजना की यूनिटों की खरीद ₹ 40,000 करोड़ की लिक्विड म्यूचुअल फंड योजना की यूनिटों का मोचन								
6.	प्रस्तावित आरपीटी सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों हैं, इसका औचित्य	निगम बीमा पॉलिसियों के लाभार्थियों की ओर से आईआरडीएआई द्वारा अनुमति दी गई योजनाओं में कंपनियों में निवेश कर सकती है। तदनुसार, अधिशेष फंड जो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हैं, उन्हें आईआरडीएआई नियमों के अनुपालन में एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड सहित अन्य म्यूचुअल फंड में पार्क किया जाता है। वर्तमान में, निगम ने इस तरह के अस्थायी निवेशों के लिए लगभग बीस (20) परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को सूचीबद्ध किया है, और आमतौर पर इन म्यूचुअल फंड योजनाओं में 90 दिनों तक की छोटी अवधि के लिए फंड में रखा जाता है, जब तक कि अधिक उपयुक्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं हो जाते।								
7.	सूचीबद्ध इकाई के प्रवर्तकों/निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेन-देन में रुचि रखते हैं।	शून्य								
	क. निदेशक/केएमपी का नाम	-								
	ख. संबंधित पक्ष में निदेशक/केएमपी की शेरधारिता, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से	-								
8.	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी।	शून्य								

क्र.सं.	जानकारी का विवरण	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी
9.	निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक अन्य जानकारी।	शून्य
<b>भाग बी: अतिरिक्त जानकारी</b>		
<b>बी (1) केवल वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, खरीद या आपूर्ति या किसी अन्य समान व्यावसायिक लेनदेन और व्यापार अग्रिमों से संबंधित लेनदेन के मामले में प्रकटीकरण</b>		
1.	वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, खरीद या आपूर्ति के लिए एक पार्टी चुनने के लिए बोली या अन्य प्रक्रिया, यदि कोई हो, उपयोग किया जाता है।	यह नकदी प्रवाह, यूनियों की खरीद के लिए अधिदेश की उपलब्धता और यूनियों के मोचन के लिए धन की आवश्यकता पर निर्भर करता है।
2.	मूल्य निर्धारण का आधार	एनएवी के आधार पर
3.	व्यापार अग्रिम (365 दिनों तक या ऐसी अवधि जिसके लिए ऐसे अग्रिमों को सामान्य व्यापार अभ्यास के अनुसार बढ़ाया जाता है), यदि कोई हो, लेन-देन के संबंध में संबंधित पक्ष को बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो निम्नलिखित निर्दिष्ट करें:	लागू नहीं
	क. व्यापार अग्रिम की राशि	-
	ख. कार्यकाल	-
	ग. क्या वही स्व-परिसमापन है?	-

उक्त लेन-देन, एक भौतिक आरपीटी होने के नाते, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23 के अनुसार निगम के सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता अधीन है।

सदस्य ध्यान दें कि सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, उसके तहत परिभाषित संबंधित पक्ष (चाहे ऐसे संबंधित पक्ष उपरोक्त लेनदेन के लिए एक पक्ष हैं या नहीं), मद संख्या 7 के तहत संकल्प को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

कोई भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके संबंधित रिश्तेदार किसी भी तरह से निगम में उनकी शेरधारिता की सीमा को छोड़कर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तीय या अन्यथा उक्त संकल्पों में किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं रखते हैं।

लेखापरीक्षा समिति पर स्वतंत्र निदेशकों की समीक्षा और अनुमोदन के आधार पर, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 7 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेश से  
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षरित  
अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 24 जून, 2026

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय

भारतीय जीवन बीमा निगम

‘योगक्षेम’,

जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

अस्वीकरण: पांचवीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में किसी भी अस्पष्टता/विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण में उल्लेखित सूचना को सही माना जाएगा।


## अनुलग्नक ए

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत और सचिवीय मानक - 2 के संदर्भ में, नियुक्त होने वाले निदेशक के संबंध में विवरण:

निदेशक का नाम	श्री संजय लोहिया
उम्र	57 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक
डीआईएन	07151125
संक्षिप्त विवरण	संक्षिप्त विवरण इस सूचना के मद संख्या 6 के तहत व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वित्तीय सेवाएं, प्रशासन, कॉर्पोरेट प्रशासन और बीमा
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की 13 मई, 2026 की अधिसूचना के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट <a href="https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct">https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct</a> पर उपलब्ध हैं
प्रस्तावित पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं
अंतिम पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं
बोर्ड में पहली बार नियुक्त होने की तिथि	13 मई 2026
निगम में शेयरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	वह निगम के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है।
उनकी नियुक्ति की तारीख से इस नोटिस की तारीख तक बोर्ड की बैठकों में भाग लिया गया	श्री संजय लोहिया, सरकार द्वारा नामित निदेशक ने 13 मई, 2026 से लेकर इस सूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान आयोजित 2 (दो) बोर्ड बैठकों में से 1 (एक) में भाग लिया है।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया- लेखापरिक्षा और हितधारक संबंध समिति में अध्यक्ष/सदस्य नहीं है।
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड



## महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.सं	विवरण	जानकारी
1	एजीएम की तिथि और समय	सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को 11:00 बजे (भा.मा.स)
2	प्रबद्ध करने का तरीका	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन (ओएवीएम)
3	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक	<a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> (विवरण के लिए कृपया इस सूचना के टिप्पणियों के तहत पैरा 14 देखें)
4	एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता के लिए एनएसडीएल का संपर्क विवरण	ईमेल: <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> संपर्क नंबर: 022-48867000 सदस्य इनसे संपर्क कर सकते हैं: श्री संजीव यादव (उप प्रबंधक-एनएसडीएल) <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a>
5	अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	गुरुवार, जून 25, 2026
6	ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, जुलाई 21, 2026
7	ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख	गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 09:00 बजे (भा.मा.स)
8	ई-वोटिंग की समाप्ति तिथि	रविवार, 26 जुलाई, 2026 17:00 बजे (भा.मा.स)
9	ई-वोटिंग इवेंट नंबर (EVEN)	140008
10	स्पीकर शेयरधारक के रूप में पंजीकरण	बुधवार, 22 जुलाई, 2026 से 09:00 बजे (भा.मा.स) से शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को शाम 17:00 बजे (भा.मा.स) तक <a href="mailto:investors@licindia.com">investors@licindia.com</a> को ईमेल भेजें (कृपया अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी से अनुरोध भेजें और पंजीकरण के लिए भेजे गए ई-मेल में नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें)
11	रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण	नाम : केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई: भारतीय जीवन बीमा निगम) पता : सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032 रजिस्टर प्रश्नों के लिए ईमेल : <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> आईडी टोलफ्री नंबर : 1800 309 4001 व्हाट्सएप नंबर : +91-91000-94099 वेबसाइट : <a href="https://ris.kfintech.com/">https://ris.kfintech.com/</a> निवेशक सहायता केंद्र : <a href="https://kprism.kfintech.com/">https://kprism.kfintech.com/</a>
12	एजीएम का लाइव वेबकास्ट	<a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a>
13	एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट के नोटिस तक पहुंचने के लिए क्यूआर कोड	



## LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

Tel. No.: 022 – 2202 2079

Email: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com); Website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

## NOTICE OF THE 5<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”) OF THE MEMBERS OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA WILL BE HELD ON MONDAY, THE 27<sup>TH</sup> DAY OF JULY, 2026, AT 1100 HRS (IST), THROUGH VIDEO CONFERENCING (“VC”)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (“OAVM”) TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:**

### ORDINARY BUSINESS:

- To consider and adopt the audited standalone financial statements of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2026, together with the Reports of Board and Auditors thereon, in terms of Sections 24B, 24C and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
- To consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2026, together with Report of Auditors thereon, in terms of Section 24B and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
- To consider and adopt the Annual Report of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2026, in terms of Section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
- To declare final dividend of ₹ 10/-per equity share of face value of ₹ 10/- each for the financial year ended on March 31, 2026 as recommended by the Board in terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
- Appointment of Zonal and Divisional Auditors of the Corporation and fix their remuneration

To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an **ORDINARY RESOLUTION:**

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, as applicable, including any amendment(s), modification(s), variation(s), or re-enactment(s) thereof, from time to time, approval of the Members of the Corporation, be and is hereby accorded for the appointment of following auditors as the Zonal Auditors of the Corporation, for a term of five (5) years, i.e., from the conclusion of 5<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Corporation and till the conclusion of the 10<sup>th</sup> AGM of the Corporation, at such remuneration, as may be determined by the Board of Directors of the Corporation (including Audit Committee thereof), from time to time:

S. No.	Name of Zonal Auditors	Firm Registration Number (FRN)
1.	M/s. Anand & Ponnappan	000111S
2.	M/s. Sanjeev Omprakash Garg & Co.	008773C
3.	M/s. S Srivastava & Co.	004570C

**RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, including any amendment(s), modification(s), variation(s), or re-enactment(s) thereof, from time to time, approval of the Members of the Corporation, be and is hereby accorded for the appointment of following auditors as the Divisional Auditors of the Corporation, for a term of five (5) years, i.e., from the conclusion of 5<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Corporation and till the conclusion of the 10<sup>th</sup> AGM of the Corporation, at such remuneration, as may be determined by the Board of Directors of the Corporation (including Audit Committee thereof), from time to time:

S. No.	Name of Divisional Auditors	Firm Registration Number (FRN)
1.	M/s. S Ramanand Aiyar & Co.	000990N
2.	M/s. Jain Paras Bilala & Co.	011046C
3.	M/s. Gopal Sharma & Co.	002803C
4.	M/s. Agasti & Associates	313043E
5.	M/s. Manohar Chowdhry & Associates	001997S
6.	M/s. P S M G & Associates	008567C

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Corporation (including the Audit Committee of the Board) and/or any of the whole time Director of the Corporation, be and are hereby authorised to revise/alter/modify/amend the terms and conditions of appointment and/or remuneration, from time to time, and to settle all questions that may arise in connection with or incidental to giving effect to the above resolutions.”

#### SPECIAL BUSINESS:

##### 6. Appointment of Shri Sanjay Lohiya (DIN:07151125) as Government Nominee Director of the Corporation:

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **ORDINARY RESOLUTION**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(d) of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the appointment of Shri Sanjay Lohiya vide Government of India’s notification dated May 13, 2026, nominating him as Government Nominee Director on the Board of the Corporation with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved.”

##### 7. Approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Mutual Fund Asset Management Limited (“LIC MF Asset Management”):

To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an **ORDINARY RESOLUTION**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”), other applicable provisions of law, if any, including any amendment(s), modification(s) or re-enactments thereof (applicable laws) as may be applicable from time to time, the policy on dealing with Related Party Transactions of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”), and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), as detailed in the Explanatory Statement with LIC Mutual Fund Asset Management Limited (“LIC MF Asset Management”), an associate company of the Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”) and accordingly, a related party of the Corporation, on such terms and conditions as may be agreed between the Corporation and LIC MF Asset Management, for an aggregate value not exceeding ₹ 40,000 crore each towards the purchase and redemption of units of direct liquid fund schemes respectively and/or any other transactions incidental thereto, which shall be valid from the date of 5<sup>th</sup> Annual General Meeting (“AGM”) till the date of the 6<sup>th</sup> AGM (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, subject to such contract(s)/arrangement(s)/transaction(s) being carried out at arm’s length and in the ordinary course of business of the Corporation.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to do and perform all such acts, deeds, matters and things, as may be necessary and expedient, including finalising the terms and conditions, methods and modes in respect thereof and finalising and executing necessary documents, including contract(s), scheme(s), agreement(s) and such other

documents and take necessary steps as the Board may, in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient, to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the Members or otherwise to the end and intent that the Members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

**RESOLVED FURTHER THAT** Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, and take such steps, as may be considered necessary or expedient, to give effect to the aforesaid resolution.

**RESOLVED FURTHER THAT** all actions taken by the Board, or any person so authorised by the Board, in connection with any matter referred to or contemplated in the foregoing resolution, be and are hereby approved, ratified and confirmed in all respects.”

By order of the Board  
**For Life Insurance Corporation of India**

Sd/-  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary & Compliance officer

Date: June 24, 2026

Place: Mumbai

**Central Office:**

Life Insurance Corporation of India

‘Yogakshema’, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai–400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

Website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

**NOTES:**

**1. Meeting through VC/OAVM:**

- A. The Ministry of Corporate Affairs, Government of India (“MCA”) vide its General circular no. 03/2025 dated September 22, 2025 read with earlier circulars issued by MCA (collectively referred to as “MCA Circulars”) in this regard and Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) have permitted listed entities to conduct AGM through Video Conferencing facility (“VC”)/Other Audio-Visual Means (“OAVM”), in compliance of various conditions mentioned therein.

In compliance with the aforesaid circulars issued by MCA and SEBI, applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956” or “LIC Act”) read with rules and regulations made thereunder, the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”/ “SEBI (LODR) Regulations, 2015”/ “Listing Regulations”), the 5<sup>th</sup> AGM of the Corporation is being held through VC/ OAVM facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The Central Office shall be deemed to be the venue for the 5<sup>th</sup> AGM.

- B. Pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956 read with Rule 28 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 (“LIC Rules”), a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and the proxy need not be a member of the Corporation. Since, this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of

proxies by the members will not be available for this AGM and hence the proxy form, attendance slip and route map of the AGM venue are not annexed to this notice.

- C. The Members can join the AGM through VC/OAVM mode 30 minutes before and upto 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The Members will be able to view the live proceedings on the e-voting website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). The detailed instructions for joining the Meeting through VC/OAVM form part of this Notes to the Notice. The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and the Secretarial Standard – 2 issued by Institute of Company Secretaries of India ("ICSI").
- D. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for at least 1,000 members on first-come-first-serve basis ("FCFS"). No restrictions on account of FCFS entry into AGM will apply in respect of large members (shareholders holding 2% or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnels, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, and the Auditors.
- E. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/ Authority Letter, etc., authorising their representative to attend the AGM through VC/OAVM on their behalf and to vote through remote e-voting or during the AGM. The said Resolution/Authorisation may be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to [sanco@sanco.net](mailto:sanco@sanco.net) with a copy marked to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com)
- F. In case of joint holders, a member whose name appears as the first holder in the order of their names as per the Register of Members will be entitled to cast vote at the AGM.
- G. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2025-26 is being sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depositories Participants as at the close of business hours on **June 25, 2026 (Thursday) (Cut-off date)**. The Notice convening the 5<sup>th</sup> AGM has been uploaded on the website of the Corporation at [www.licindia.in](http://www.licindia.in) and is available on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. The Notice is also available on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

The Corporation shall send the physical copy of the Annual Report for the financial year 2025-26 only to those Members who specifically request for the same at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) through their registered email address mentioning their Folio numbers/DP ID and Client ID.

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Corporation is also sending a letter to members whose e-mail address is not registered with the Corporation/Depository Participants providing the exact weblink of Corporation's website from where the Annual Report for financial year 2025-26 can be accessed

2. An Explanatory Statement pursuant to Section 23A of LIC Act, 1956 read with Rule 28 of LIC Rules, which sets out details relating to ordinary and special business specified under Item Nos. 4 to 7 of this Notice is annexed hereto.
3. Details as required under Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and in terms of Rule 28 of LIC Rules read with Secretarial Standard - 2 issued by the ICSI in respect of the Director seeking appointment at the 5<sup>th</sup> AGM are annexed hereto as **Annexure - A** to the Notice which forms part of the Explanatory Statement. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Director seeking appointment.
4. **Record Date for Final Dividend:**
  - a. Pursuant to Section 28B of the LIC Act, 1956 and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, members may note that the Board, in its meeting held on May 21, 2026 recommended a final dividend of ₹ 10/- per equity share of face value of ₹ 10/- each for the financial year ended March 31, 2026. The Record Date for the purpose of final dividend is **Thursday, June 25, 2026**.
  - b. Final Dividend for the financial year 2025-26, once approved by the members in the 5<sup>th</sup> AGM will be paid to the Members on or before **Tuesday, August 25, 2026**, i.e., within 30 days from the date of approval to those Members/beneficial owners whose names appear in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories on the record date.

- c. Pursuant to the amended provision of Regulation 12 of SEBI Listing Regulations read with Master Circular issued by SEBI, the dividend payable to the members shall be paid through electronic mode only including to those who are holding shares in physical form. Such payment shall be made upon folio being KYC compliant. A folio will be considered as KYC compliant on registration of all details viz; full address with pin code, contact details including mobile number, bank account details, valid PAN linked to Aadhaar, nomination, specimen signature, etc. The relevant FAQs have been published by SEBI on its website and can be viewed or accessed at [https://www.sebi.gov.in/sebi\\_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf](https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf).

#### 5. Tax deducted at Source (“TDS”) on Final Dividend:

Pursuant to the provisions of Income Tax Act, 2025 (“IT Act”), as amended, dividend income is taxable in the hands of the members and the Corporation is required to deduct tax at source (“TDS”) from dividend paid to the members at the rates applicable as per the IT Act read with tax treaty as may be applicable.

A communication was sent to the members requesting to provide the relevant document to claim the tax rebate or lower tax rates, as applicable, on Monday, June 15, 2026, to those members whose email address were registered with the Corporation/ Registrar/DPs as well as public announcement was also made on June 16, 2026 in the leading newspapers viz; Times of India, Maharashtra Times and Navbharat Times.

#### 6. Members to intimate changes in their details:

Members who are holding shares in physical form and whose details are to be updated or changed are advised to submit particulars of their bank account, viz; name and address of the branch of the bank, MICR code of the branch, type of account and account number to Corporation’s RTA, i.e., KFin Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India – 500 032 along with the duly filled in Form ISR-1 and related documents of proof.

Members who hold shares in dematerialized form and want to provide/change/correct the bank account details should send the same to their concerned Depository Participant(s) only and not to the Corporation. Members are also requested to give the MICR Code of their bank to their Depository Participants. The Corporation will not entertain any direct request from such Members for change of address, transposition of names, deletion of name of deceased joint holder and change in the bank account details. While making payment of dividend, the Registrar and Share Transfer Agent is obliged to use only the data provided by the Depositories, in case of such dematerialized shares.

Pursuant to the provisions of Section 5E of the LIC Act, 1956 read with Regulation 9 of the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the members holding shares may nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares shall vest in the event of death of the sole holder or all the joint holders. Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for availing this facility and the Registrar in respect of shares held in physical form.

To prevent fraudulent transactions, members are advised to exercise due diligence and notify the Corporation or RTA of any change in address or demise of any member. Members are also advised not to leave their demat account(s) dormant for long. Periodic statement of holding may be obtained from the concerned Depository Participant, and holdings should be verified from time to time.

#### 7. Dematerialisation of Shares:

- i. Members may please note that the SEBI Listing Regulations mandate transfer, transmission and transposition of securities of listed companies held in physical form only in demat mode. Further, SEBI vide its circular no. HO/38/13/(4)2026-MIRSD-PoD/1/4298/2026 dated February 06, 2026, read with relevant SEBI circulars issued from time-to-time, has mandated the listed companies to issue securities in demat form only while processing service requests viz; Issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account; Renewal/Exchange of securities certificate; Endorsement; Sub-division/Splitting of securities certificate; Consolidation of securities certificates/folios; Transmission and Transposition.

Accordingly, members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation. Members may contact the Corporation or RTA along with requisite supporting documents prescribed in aforesaid circular, for assistance.

- ii. To address the issue of unclaimed financial assets, SEBI has issued a Circular SEBI/HO/OIAE/OIAE\_IAD 3/P/CIR/2025/32 dated March 19, 2025, titled "Harnessing DigiLocker as a Digital Public Infrastructure for Reducing Unclaimed Assets in the Indian Securities Market". This initiative enables investors to store and access information of their demat and mutual fund holdings through DigiLocker, a key Digital Public Infrastructure, benefiting investors and their families.

Shareholders can also appoint Data Access Nominees within the DigiLocker application. In the event of the shareholder's demise, the nominees will be provided read-only access to the DigiLocker account, ensuring that essential financial information is accessible to legal heirs.

For details, you may refer the above mentioned circular at [SEBI - DigiLocker Circular](#).

#### 8. Disputes Resolution:

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/ OIAE/OIAE\_IAD-1/P/CIR/2023/145 dated July 31, 2023, has introduced a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market.

Pursuant to the above-mentioned circulars, members may note that in case of any dispute against the Corporation and/or its RTA, may be resolved by filing dispute resolution through the Online Dispute Resolution Portal for disputes arising out of Indian Securities Market (<https://smartodr.in/login>) and the same can be accessed through the Corporation's website at <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution>. Members can use this mechanism only after they have lodged their grievance with the Corporation and SEBI Complaints Redressal System (SCORES) and are not satisfied with the outcome of the redressal.

#### 9. Unclaimed Dividend and IEPF:

Members who wish to claim dividends, which remain unclaimed, are requested to either correspond with the Corporation at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) or RTA at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com), for making a claim of the dividend. The details of such unclaimed dividends are available on the Corporation's website at [www.licindia.in](http://www.licindia.in).

Members are requested to note that under Section 28C of the LIC Act, 1956, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unclaimed/Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Further, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are also required to be transferred to designated Demat Account of the IEPF Authority.

10. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM or who wish to inspect the relevant documents referred in the Notice in terms of the provisions of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, can send their request at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com).
11. Process for shareholders who have not registered their email addresses with the depositories / RTA for procuring their user id and password and registering their e-mail addresses to participate in e-voting on the resolutions set out in this notice:
  - (i) Members holding shares in physical form, are requested to provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com).
  - (ii) In case shares are held in demat mode, members are requested to provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (scanned self-attested copy of PAN card), AADHAAR (scanned self-attested copy of Aadhaar Card) to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com). Individual shareholder holding securities in demat mode are requested to refer to the login method explained below in **Annexure B**.
  - (iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) for procuring user id and password to participate in e-voting by providing above mentioned documents.
12. Smt. Aparna Gadgil (Membership No. ACS 14713) and failing her, Shri. S.N. Viswanathan (Membership No. FCS 13685) of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser for providing facility to the Members of the Corporation to scrutinise remote e-voting process as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit her/his report to the Chairperson or to any other person authorised by the Chairperson after the completion of the scrutiny of the e-voting (votes cast through remote e-voting before and/or during the AGM), within



- II. Members may join the Meeting through laptops, smartphones, tablets and iPads for better experience. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting. Members will need the latest version of Chrome, Safari, MS Edge or Firefox. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via mobile hotspot might experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any glitches.
- III. Members are encouraged to submit their questions with regard to the financial statements or any other business to be placed at the 5<sup>th</sup> AGM, from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number, in advance at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) from Tuesday, July 21, 2026 at 0900 hrs (IST) to Thursday, July 23, 2026 at 1700 hrs (IST). Such questions by the Members shall be suitably replied to by the Corporation.
- IV. Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) between 0900 hrs (IST) on Wednesday, July 22, 2026 to 1700 hrs (IST) on Friday, July 24, 2026. The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time during the AGM.
- V. Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact Shri Sanjeev Yadav, Deputy Manager, NSDL at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) /022-4886 7000.

**15. General Guidelines for shareholders:**

- (i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) to reset the password.
- (ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders/Members available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Shri Sanjeev Yadav, Deputy Manager from NSDL at the designated e-mail id: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

By order of the Board  
**For Life Insurance Corporation of India**

Sd/-  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary & Compliance officer

Date: June 24, 2026

Place: Mumbai

**Central Office:**

Life Insurance Corporation of India

‘Yogakshema’, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

Website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

## EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION GENERAL RULES, 1956

### Item No. 4

In terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”), the Board of Directors in its meeting held on May 21, 2026, has recommended a final dividend of ₹ 10/- per equity share of face value of ₹ 10/- each for FY 2025-26, subject to the approval by the members of the Corporation in Annual General Meeting. The final dividend on equity shares, if approved by the Members, would involve a cash outflow of ₹ 12,649.99 crore translating into a dividend pay-out ratio of 22.03%.

The Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 4 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation

### Item No. 5

This Explanatory Statement is in terms of Regulation 36(5) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations” or “Listing Regulations”), though statutorily not required in terms of Section 23A of Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”) read with Rule 28 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 (“LIC Rules”).

In terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of LIC Rules, the Board approved policy on selection of Auditors’ of the Corporation, as amended from time to time, SEBI Listing Regulations, and other applicable provisions, if any, the appointment of Auditors of the Corporation irrespective of whether the Auditors are Corporation’s Auditors, Zonal Auditors or Divisional Auditors, needs to be approved by the members in the AGM.

The three Zonal Auditors of the Corporation viz; M/s B C Jain & Co., Kanpur (Firm Registration No: 001099C), M/s Rama K Gupta & Co., Bhopal (Firm Registration No: 005005C) and M/s R. Subramanian and Co. LLP, Chennai (Firm Registration No: 004137S/ S-200041) are retiring upon completion of their term at 5<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Corporation scheduled to be held on July 27, 2026.

In view of the foregoing provisions and upon completion of term of Zonal Auditors of the Corporation at this AGM, the Board of Directors of the Corporation after evaluating and considering various factors such as industry experience, listed company’s experience, competency of the audit team, efficiency in conduct of audit, independence, Comptroller and Auditor General of India (“CAG”) ranking, etc., and on the basis of the recommendation of the Audit Committee, propose the appointment of the following as the Zonal Auditors of the Corporation, for the term of five (5) years from the conclusion of 5<sup>th</sup> AGM till the conclusion of 10<sup>th</sup> AGM of the Corporation to be held in the calendar year 2031.

S. No.	Name of Auditor	Firm Registration Number (FRN)	Brief Profile
1	M/s. Anand & Ponnappan	000111S	The Firm was established in the year 1982, with 7 offices across India. The present strength of the firm is 15 full-time partners and 10 full-time CA employees.
2	M/s. Sanjeev Omprakash Garg & Co.	008773C	The Firm was established in the year 1998, with 33 offices across India. The present strength of the firm is 34 full-time partners and 24 full-time CA employees.
3	M/s. S Srivastava & Co.	004570C	The Firm was established in the year 1989, with 7 offices across India. The present strength of the firm is 10 full-time partners and 2 full-time CA employees.

The consolidated remuneration to be paid to the proposed Zonal Auditors for audit services of Zonal Offices per annum is ₹ 99,24,350/- plus applicable taxes. The proposed remuneration is exclusive of costs for other permitted services which could be availed by the Corporation from Zonal Auditors, from time to time, if required. The consolidated remuneration paid to outgoing Zonal auditors for audit services of Zonal Offices for FY 2025-26 was ₹ 95,13,000/- plus applicable taxes

Further, pursuant to Section 25 of the LIC Act, 1956, Divisional Auditors are also being appointed to carry out the audit of Divisional Offices periodically. Accordingly, the Board of Directors of the Corporation after evaluating and assessing credentials, competence of the audit teams, efficiency in conduct of audits, independence of the auditors, and considering the other parameters defined under the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation, as amended and on the recommendation of the Audit

Committee, propose the appointment of the following as the Divisional Auditors of the Corporation, for the term of five (5) years from the conclusion of 5<sup>th</sup> AGM till the conclusion of 10<sup>th</sup> AGM of the Corporation to be held in the calendar year 2031:

S. No.	Name of Auditor	Firm Registration Number (FRN)	Brief Profile
1.	M/s. S Ramanand Aiyar & Co	000990N	The Firm was established in the year 1950, with 8 offices across India. The present strength of the firm is 16 full-time partners and 10 full-time CA employees.
2.	M/s. Jain Paras Bilala & Co	011046C	The Firm was established in the year 2002, with 16 offices across India. The present strength of the firm is 25 full-time partners and 13 full-time CA employees.
3.	M/s. Gopal Sharma & Co	002803C	The Firm was established in the year 1985, with 8 offices across India. The present strength of the firm is 21 full-time partners and 10 full-time CA employees.
4.	M/s. Agasti & Associates	313043E	The Firm was established in the year 1963, with 11 offices across India. The present strength of the firm is 25 full-time partners and 1 full-time CA employee.
5.	M/s. Manohar Chowdhry & Associates	001997S	The Firm was established in the year 1984, with 12 offices across India. The present strength of the firm is 25 full-time partners and 36 full-time CA employees.
6.	M/s. P S M G & Associates	008567C	The Firm was established in the year 1998, with 15 offices across India. The present strength of the firm is 25 full-time partners and 14 full-time CA employees.

The consolidated remuneration to be paid to the proposed Divisional Auditors for audit services of Divisional offices per annum is ₹ 91,93,200/- plus applicable taxes. The proposed remuneration is exclusive of costs for other permitted services which could be availed by the Corporation from Divisional Auditors, from time to time, if required. The consolidated remuneration paid to outgoing Divisional Auditors for FY 2025-26 for audit services of divisional offices was ₹ 87,68,100/- plus applicable taxes.

There is no material change in the proposed remuneration for Zonal and Divisional Auditors.

Besides the audit services, the Corporation would also obtain certifications from the Zonal and Divisional Auditors under various statutory regulations and certifications required by banks, statutory authorities, audit related services and other permissible non-audit services as required from time to time, for which they will be remunerated separately on mutually agreed terms, as approved by the Board in consultation with the Audit Committee.

The Audit Committee and the Board of Directors shall consider approval of revisions to the remuneration of the Zonal and/or Divisional Auditors for the remaining part of their tenure. The Board of Directors, in consultation with the Audit Committee, may alter and vary the terms and conditions of appointment, including remuneration, in such manner and to such extent as may be mutually agreed with the Auditors.

None of the Corporation's Auditors is completing their term at this AGM. Therefore, there is no proposal for appointment of Corporation's Auditors.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolutions.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 5 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

#### Item No. 6

The Government of India vide their notification dated May 13, 2026, has nominated Shri Sanjay Lohiya as Government Nominee Director of the Corporation with immediate effect and until further orders, in place of Ms. Shalini Pandit.

Shri Sanjay Lohiya, an IAS Officer of 1994 batch (Assam Meghalaya cadre), has joined Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MOF) as Special Secretary and took over as Secretary, Department of Financial Services w.e.f. June 01, 2026. Prior to joining as Special Secretary in DFS, he was Additional Secretary in Ministry of Mines.

He joined Indian Administrative Service (IAS) after graduating from St. Stephen's College, University of Delhi. Before joining as Additional Secretary, Ministry of Mines, he held various positions, which included Principal Secretary to Chief Minister, Government of Assam, Joint Secretary in Ministry of Agriculture, Director in PMO, etc.

Pursuant to “Directors’ Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy” (“Directors’ Policy”) approved by the Board, as amended, the Government Nominee Director is not entitled to receive any remuneration, sitting fees, or other compensation except reimbursement of travel, stay and transport expenses for attending the Board and its committee meeting. Therefore, Shri Sanjay Lohiya is not entitled to receive any remuneration, sitting fees, or other compensation except as mentioned under Directors’ Policy.

The Directors’ Policy is available on the website of the Corporation at <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct>.

In terms of Regulation 17 of the SEBI Listing Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 6 of the Notice for taking formal approval of the appointment of Shri Sanjay Lohiya as Government Nominee Director.

Except Shri Sanjay Lohiya and his relatives, and the Government of India, who is a major shareholder in the Corporation, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 6. The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI are provided in Annexure A to this notice.

The Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 6 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

#### **Item No. 7**

LIC Mutual Fund Asset Management Limited (“LIC MF Asset Management”) is an associate Company of the Life Insurance Corporation of India (“LIC” or “the Corporation”), a related party of the Corporation. LIC MF Asset Management is one of the well-known players in the asset management sphere and is emerging as a preferred investment manager amongst the investor fraternity.

The Life insurance Corporation of India, is one of India’s largest life insurers and a major Domestic Institution Investors (“DII”). The Corporation has invested its investible surplus in various instruments as per Board approved Investment Policy, in compliance with Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and applicable regulations issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India (“IRDAI”), from time to time, to generate reasonable returns to its policyholders and shareholders.

The Corporation can invest in companies on behalf of the beneficiaries of insurance policies in such schemes as permitted by the IRDAI. Accordingly, the surplus funds that are temporarily idle are parked in Mutual Funds including those managed by LIC MF Asset Management, in accordance with IRDAI regulations. At present, the Corporation has empaneled around twenty (20) Assets Management Companies for such temporary investments, and funds are typically placed in these mutual fund schemes for short duration of up to 90 days, until more suitable investment opportunities become available.

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempted from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arm’s length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party (RPTs), if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arm’s length. Pursuant to the provisions of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, may exceed ₹ 3,000 crore plus 2.5% of the Annual Consolidated turnover above ₹ 40,000 crores or ₹ 5,000 crores, whichever is lower. Therefore based on consolidated turnover of the Corporation for the FY 2025-26, the material threshold for RPTs of the Corporation is ₹ 5,000 crore. The Corporation has obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC MF Asset Management at the 4<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Corporation held on August 26, 2025, which will be valid till the 5<sup>th</sup> AGM. Thus, the Corporation requires to obtain fresh approval from the shareholders for a such material RPTs.

The management has provided the Audit Committee with the relevant details of various proposed RPTs including material terms and basis of pricing. All Independent Directors in the Audit Committee, after reviewing all the necessary details, have granted approval for entering into the RPTs with LIC MF Asset Management, for an aggregate value upto ₹ 40,000/- crores each towards purchase and redemption of units of direct liquid fund schemes respectively from 5<sup>th</sup> AGM to 6<sup>th</sup> AGM for a period not exceeding fifteen months. The Audit Committee had noted that the said transactions with LICMF is in the ordinary course of business of the Corporation and at an

arm's length basis. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No.7, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee while approving the said related party transactions, has also noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length basis, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

The Audit Committee has reviewed the certificate provided by the Managing Director and Chief Financial Officer of the Corporation as required under the RPT Industry Standards.

Accordingly, as per the SEBI Listing Regulations, prior approval of the members is being sought for all such contracts/arrangements/transactions to be undertaken (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise), whether by way of continuation/extension/renewal/modification of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise from the date of this AGM to the date of 6<sup>th</sup> AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months.

Details of the proposed transactions between the Corporation and LIC MF Asset Management, including the information required to be disclosed in the Explanatory Statement pursuant to the SEBI Master circular dated January 30, 2026, read with earlier circular issued in this regard, if any, are as follows:

Minimum Information to be provided to the Audit Committee and Shareholder's for approval of Related Party Transaction as per RPT Industry Standards:

S. No.	Particulars of the information	Information provided by the management		
<b>Part A: Minimum information of the proposed RPT</b>				
<b>A (1): Basic details of the related party</b>				
1.	Name of the related party	LIC Mutual Fund Asset Management Limited ("LIC MF Asset Management")		
2.	Country of incorporation of the related party	India		
3.	Nature of business of the related party	Financial Intermediation Services		
<b>A (2): Relationship and ownership of the related party</b>				
1.	Relationship between the listed entity/subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary) and the related party – including nature of its concern (financial or otherwise) and the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>Shareholding of the listed entity/subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary), whether direct or indirect, in the related party.</li> <li>Where the related party is a partnership firm or a sole proprietorship concern or a body corporate without share capital, then capital contribution, if any, made by the listed entity/subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary).</li> <li>Shareholding of the related party, whether direct or indirect, in the listed entity/subsidiary</li> </ul>	LIC MF Asset Management is an Associate of the Corporation  49.87%  Not Applicable  NIL		
<b>A (3): Details of previous transactions with the related party</b>				
1.	Total amount of all the transactions undertaken by the listed entity or subsidiary with the related party during the last financial year.	<b>S. No.</b>	<b>Nature of Transactions</b>	<b>FY 2025-2026 (₹)</b>
		1	Purchase of Units	24,150.10 Crore
		2	Redemption of Units	23,151.31 Crore



S. No.	Particulars of the information	Information provided by the management
3.	Tenure of the proposed transaction (tenure in number of years or months to be specified).	Being a regular placement of surplus funds on temporary basis, approval of Members is being sought for material RPT from 5 <sup>th</sup> AGM and upto the date of 6 <sup>th</sup> AGM, for a period not exceeding fifteen (15) months
4.	Whether omnibus approval is being sought?	Yes
5.	Value of the proposed transaction during a financial year. If the proposed transaction will be executed over more than one financial year, provide estimated break-up financial year-wise.	Purchase of units of Liquid Mutual Fund Scheme of ₹ 40,000 crore. Redemption of units of Liquid Mutual Fund Scheme of ₹ 40,000 crore.
6.	Justification as to why the RPTs proposed to be entered into are in the interest of the listed entity.	The Corporation can invest in companies on behalf of the beneficiaries of insurance policies in such schemes as permitted by the IRDAI. Accordingly, the surplus funds that are temporarily idle are parked in Mutual Funds including those managed by LIC MF Asset Management, in compliance with IRDAI Regulations. At present, the Corporation has empaneled around twenty (20) Assets Management Companies for such temporary investments, and funds are typically placed in these mutual fund schemes for short duration of up to 90 days, until more suitable investment opportunities become available.
7.	Details of the promoter(s)/director(s)/key managerial personnel of the listed entity who have interest in the transaction, whether directly or indirectly.	NIL
	a. Name of the director/KMP	-
	b. Shareholding of the director/KMP, whether direct or indirect, in the related party	-
8.	A copy of the valuation or other external party report, if any, shall be placed before the Audit Committee.	NIL
9.	Other information relevant for decision making.	NIL
<b>Part B: Additional Information</b>		
<b>B (1) Disclosure only in case of transactions relating to sale, purchase or supply of goods or services or any other similar business transactions and trade advances</b>		
1.	Bidding or other process, if any, applied for choosing a party for sale, purchase or supply of goods or services.	Depends on cashflow, availability of mandate for purchase of units and requirement of funds for redemption of units.
2.	Basis of determination of price.	NAV basis
3.	In case of Trade advance (of upto 365 days or such period for which such advances are extended as per normal trade practice), if any, proposed to be extended to the related party in relation to the transaction, specify the following:	N. A.
	a. Amount of Trade advance	-
	b. Tenure	-
	c. Whether same is self-liquidating?	-

The said transaction, being a material RPT, requires prior approval of the Members of the Corporation in accordance with Regulation 23 of the SEBI Listing Regulations.

Members may note that in terms of the provisions of the Listing Regulations, the related parties as defined thereunder (whether such related party(ies) are a party to the aforesaid transactions or not), shall not vote to approve Resolution under Item No. 7.

None of the Directors and/or Key Managerial Personnel of the Corporation and/or their respective relatives is concerned or interested either directly or indirectly, financially or otherwise, in the above resolutions, except to the extent of their shareholding / directorship, if any in the Corporation and in the entity mentioned above.

Based on the review and approval of the Independent Directors on the Audit Committee, the Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 7 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

By order of the Board of Directors  
**For Life Insurance Corporation of India**

Sd/-  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary & Compliance officer

Date: June 24, 2026

Place: Mumbai

**Central Office:**

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

Website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

## Annexure A

Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard – 2, in respect of the Director seeking appointment:

Name of Director	Shri Sanjay Lohiya
Age	57 years
Nationality	Indian
Qualification	Graduate from St. Stephen's College, Delhi University
DIN	07151125
Brief Resume	The brief profile forms part of explanatory statement under item no. 6 of this notice.
Expertise in specific functional areas	Financial Services, Administration, Corporate Governance and Insurance
Terms and conditions of appointment/ reappointment	As per Government of India notification dated May 13, 2026. The other details are available on Corporation's website at <a href="https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct">https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct</a>
Details of proposed remuneration	Not Applicable
Details of last remuneration drawn	Not Applicable
Date on which first appointed on the Board	May 13, 2026
Details of shareholding in the Corporation	NIL
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	He is not related to any of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation.
Number of Board meetings attended from the date of his appointment to the date of this notice	Shri Sanjay Lohiya, Government Nominee Director has attended 1 (One) Board Meeting out of 2 (two) Board Meetings held during the period from May 13, 2026 and upto the date of this notice.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	State Bank of India - Does not have Chairmanship and Memberships in Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee.
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	National Aluminum Company Limited



## Information at a glance

S. No.	Particular	Details
1	Date and Time of AGM	Monday, July 27, 2026 at 1100 hrs (IST)
2	Mode of conduct	Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")
3	Link to participate in the AGM through VC/OAVM	<a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> (For details please refer Para 14 under Notes of this notice)
4	Contact details of NSDL for assistance before or during the AGM	Email: <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> Contact No.: 022-48867000 Member may connect with: Shri Sanjeev Yadav (Deputy Manager-NSDL) at <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a>
5	Record date for Final Dividend	Thursday, June 25, 2026
6	Cut-off date to determine entitlement for e-voting	Tuesday, July 21, 2026
7	E-voting start date	Thursday, July 23, 2026 @ 0900 hrs (IST)
8	E-voting end date	Sunday, July 26, 2026 @ 1700 hrs (IST)
9	E-voting event number (EVEN)	140008
10	Registration as speaker shareholder	Commence from 0900 hrs (IST) on Wednesday, July 22, 2026 to 1700 hrs (IST) on Friday, July 24, 2026 Send email to <a href="mailto:investors@licindia.com">investors@licindia.com</a> (Please send the request from your registered e-mail ID and mention name, DP ID and Client ID/Folio No., PAN, Mobile No. in the e-mail sent for registration)
11	Name, address and contact details of Registrar and Share Transfer Agent	Name : KFIN Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) Address : Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India-500032 Email Id for register queries : <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> Tollfree No. : 1800 309 4001 Whatsapp Number : +91-91000-94099 Website : <a href="https://ris.kfintech.com/">https://ris.kfintech.com/</a> Investor support Centre : <a href="https://kprism.kfintech.com/">https://kprism.kfintech.com/</a>
12	Live webcast of AGM	<a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a>
13	QR Code for accessing the notice of AGM & Annual Report	